तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज (60/24) रमेश / ओमवटी	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/8/24	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्षकारान उपस्थित श्री प्रदीप सैनी मौका कमिश्नर की रिपोर्ट पेश की शा॰ पत्रावली की गई। मौका निरीक्षण अनुसार निर्माणाधीन दीवार / मकान से (अप्रार्थी) से प्रार्थी का रास्ता बाधित नहीं होता है, निर्माणाधीन मकान लैंटर डला हुआ है अप्रार्थी रहवास हेतु मकान बना रहा है, जीर्ण के साथ नक्शा मौका पेश किया हुआ है। स्वयं प्रार्थी ने मकान बनाया हुआ है। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 21/8/24 को पेश हो। Sd/-	
21/8/24	पत्रावली पेश हुई वकील [illegible] उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है / प्रभार [illegible] है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 23/8/24 को पेश हो। रीडर	
23/8/24	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्षकारान उपस्थित। पूर्व दिनांक 15/7/24 को दोनों पक्षों की बहस पेश हो चुकी है जिस सन्दर्भ में 12/8/24 को मौका कमिश्नर की रिपोर्ट प्राप्त की गई। उभयपक्षों की बहस व मौका कमिश्नर की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय यह पाता है कि प्रार्थी द्वारा भी सम्बन्धित आराजी में मकानात बना रखे है तथा अप्रार्थी ने भी मकान का ढाँचा बना रखा है केवल मकान की फिनिशिंग का कार्य बाकी है अप्रार्थी के निर्माण से रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का रास्ता बाधित नहीं पाया गया। Sd/- अतः न्यायालय मौका कमिश्नर की रिपोर्ट अनुसार दर्शित (मार्क X 1) [illegible] मकान को पूर्ण करने की अनुमति [illegible] किसी भी निर्माण / [illegible] निर्माण न करने हेतु पाबन्द किया जाता है। फाइल / निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो जमा रिकॉर्ड [illegible] हो। Sd/- उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.09.09 12:35:28 IST
Reason: SelfAttested